न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./62/2021/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोंडेंट्स
नेनाराम पुत्र भेराराम के का. मु.– 1/1. चूनाराम पुत्र नेनाराम, 1/2. वीरमाराम पुत्र नेनाराम, जाति जाट, निवासी खानजी का तला, चौखला, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।	1. जोगाराम पुत्र लालाराम 2. गोमाराम पुत्र लालाराम 3. गंगाराम पुत्र लालाराम 4. जेठाराम पुत्र पनाराम 5. मु. गंगा पत्नी पनाराम 6. मुकनाराम पुत्र भेराराम फौत के का. मु.– 6/1. बाबुलाल पुत्र मुकनाराम 6/2. चम्पा पत्नी मुकनाराम, जातियान जाट, निवासियान खानजी का तला, चौखला, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर। 7. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कवास। 8. श्रीमान तहसीलदार, बायतु।

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम वास्ते निर्णय

उपस्थितः–

1. वकील श्री श्रवण कुमार चौधरी अपीलांट/प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री रिणछाराम सियाग रेस्पों. संख्या 01 से 03 की ओर से
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–27.10.2025

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना ही पारित किया गया जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में रद्दोबदल कर दिया है तत्समय अपीलांट को वाद के सम्मन तामील नहीं होने के कारण जानकारी नहीं हो सकी तथा उसके बाद अपीलांट्स मौके पर काबिज हो कर काश्त करने लगे। वाद के निर्णय के बाद उत्तरदातागण ने कभी भी कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया परन्तु वर्तमान में कुछ समय पूर्व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट को बेदखल करने की धमकियां दी गई तथा मौके पर अपीलांट के कब्जे–काश्त की भूमि में हस्तक्षेप कर अपीलांट को जबरन लाठी के बल पर बेदखल करने का प्रयास किया जाने लगा। उक्त भूमि में उत्तरदातागण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हक–हिस्सा न्यायालय से प्राप्त होने का बताया जिस कारण अपीलांट को अपना हक–हिस्सा संशयप्रद लगा। हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने न्यायालय जाकर पता करने को कहा जिस पर अपीलांट ने आलोच्य निर्णय की नकल को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त कर बिना देरी किये ही श्रीमानजी के अज अदालत में हस्तगत अपील पेश कर दी। वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावें। वकील अपीलांट ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. 2023(1)RRT Page No.-616.

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारम्भिक आपत्तियां पेश करते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में गलत तथ्यों का अभिकथन किया है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को करीबन 06 वर्षों की अत्यधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात् यह अपील पत्र पेश किया गया है। उक्त 06 वर्षों की अवधि को माफ करने हेतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार के कोई वास्तविक कारण का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपील पेश करने हेतु देरी के कारण को माफ किया जा सके। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान प्रारम्भ से ही अपीलकर्तागण के पूर्वज एवं तत्पश्चात् अपीलकर्ता स्वयं को रहा है। ऐसी दशा में अपीलकर्ता अपने पिता द्वारा किये गये कार्यों से पूर्णतया विबंधित है। अपीलकर्ता द्वारा पिछले 06 वर्षों में सैकड़ों बार राजस्व अभिलेखों की प्रतियां, सरकार द्वारा जारी अनुदान की विभिन्न योजनाओं में प्राप्त कर प्रस्तुत की हैं जिससे यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है कि अपीलकर्ता को राजस्व रेकर्ड की पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से रही है। विधिनुसार अपीलकर्ता को 06 वर्षों के विलम्ब की अवधि का प्रत्येक दिन का समुचित एवं सद्भाविक विलम्ब स्पष्ट आवश्यक होता है परन्तु अपीलकर्ता द्वारा 06 वर्षों की अत्यधिक विलम्ब की अवधि का अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित नहीं किया है। ऐसी दशा में अपीलकर्ता की अपील घोर विलम्ब के साथ प्रस्तुत किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने 06 वर्षों के असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2019 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। इसके बाद अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा लगातार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। जिससे प्रश्नगत निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 06 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

27/10/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/10/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर